र्यालय विवाह अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवाह अधिकारी – करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

विवाह आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2016
द्वारा
मुकेश कुमार एवं जियोर्जियाना मैटिलडा

आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 09.08.2016

विवाह के पक्षकार श्री मुकेश कुमार एवं जियोर्जियाना मैटिलडा द्वारा हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, गवाहन सुशील कुमार, धनपत, राधेश्याम सोनी एवं राजकुमार के शपथ पत्र एवं आई डी प्रूफस पेश किये है।

प्रार्थना पत्र पर अंकित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार दोनों पक्षों का हिन्दु होना आवश्यक है। प्रस्तुत विवाह पंजीयन आवेदन पत्र के अनुसार विवाह की पक्षकार वधु जियोर्जियाना मैटिलडा फिजी देश की नागरिका है तथा शपथ पत्र में धर्म का उल्लेख नहीं किया गया हैं। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यही प्रतीत होता है कि विवाह की पक्षकार वधु हिन्दु नही है।

फलस्वरूप हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 5 की पूर्ति नहीं होने से हिन्दु विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पक्षकारों का विवाह पंजीयन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(करतार सिंह पूनियां)
अति. जिला कलक्टर
प्रशासन, श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

E:\K.L.Kalra\Marriage Orders